सत्यमेव जयते	भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy क्रय एवं भंडार निदेशालय/Directorate of Purchase & Stores विक्रम साराभाई भवन, '0' तल/Vikram Sarabhai Bhavan, '0' floor, अणुशक्तिनगर, मुंबई, महाराष्ट्र/Anushaktinagar, Mumbai, Maharashtra – 400 094.	क्र भं नि DPS क्रय एवं भंडार निदेशालय Directorate of Purchase and Stores

(निदेशालय की वेबसाइट / Website of the Directorate: https://dpsdae.gov.in)

विज्ञापन संख्या : 1/क्रभनि/2022

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि	20-10-2022 से 10-11-2022
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10-11-2022 (24:00 बजे तक)
लेवल-1 (ओएमआर आधारित) तथा लेवल-2 (विवरणात्मक) परीक्षा की संभावित सारणी	दिसम्बर, 2022

"सरकार अपने कार्यबल में पुरूषों एवं महिलाओं की संख्या में संतुलन रखने हेतु प्रयासरत है अत: महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"

क्रभनि, मुंबई तथा भारत भर में क्रभनि की अन्य क्षेत्रीय इकाईयों में कनिष्ठ क्रय सहायक / कनिष्ठ भंडारी के पदों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. पदों का विवरण

क्रम सं.	पद का नाम	पद का वर्गीकरण	वेतन लेवल	आयु सीमा
1.	कनिष्ठ क्रय सहायक / कनिष्ठ भंडारी	ग्रुप 'ग'	लेवल 4 (रु. 25500-रु. 81100)	18 to 27 वर्ष

3. रिक्तियाँ तथा आरक्षण

	अजा	अजजा	अपिव	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
रिक्तियों की संख्या	23	0	12	22	13	70

नोट : दिव्यांगों के लिए 3 पद [कमजोर नजर (एलवी), बधिरता (एचएच), एक पैर (ओएल), एक हाथ (ओए), एक हाथ तथा पैर (ओएएल), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी), एसिड हमले से पीड़ित (एएवी), अभिसाधित कुष्ठ (एलसी), बौनापन (डीडब्लू), मस्कुलर डिस्ट्राफी (एमडीवाय) तथा बहु दिव्यांगताएं (एमडी)], कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के ग्रेड में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या में से 7 पद भूतपूर्व सैनिकों से भरे जाएंगे।
(शारीरिक दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। बधिरता से तात्पर्य है कि वार्तालाप की आवृत्ति में जिस कान में ठीक सुनाई देता हो, उसमें श्रवण में 60 डेसिबल या उससे अधिक की कमी हो)

4 राष्ट्रीयता/नागरिकता : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

5 आयु सीमा (आवेदन की अंतिम तिथि को)

5.1 विभिन्न पदों के लिए आयु की आवश्यकता निम्नानुसार है।

आयु सीमा	अभ्युक्तियाँ
कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है।	अभ्यर्थी का जन्म 10.11.1995 से पहले और 10.11.2004 से बाद का नहीं होना चाहिए।

5.2 अधिकतम आयु सीमा में अनुमेय छूट तथा आयु सीमा में छूट के दावा के लिए वर्ग कोड निम्नानुसार हैं :

कोड सं	वर्ग	आयु – अधिकतम आयु सीमा से अधिक अनुमेय छूट
01	अनुसूचित जाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
03	बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग)	13 वर्ष
05	बेंच मार्क दिव्यांग व्यक्ति (अनुसूचित जाति)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष।
07	किसी दूसरे देश में संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक।	3 वर्ष
08	किसी दूसरे देश में संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अनुसूचित जाति)।	8 वर्ष
समूह 'ग' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमेय छूट।		
09	केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	40 वर्ष की आयु तक
10	केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अनुसूचित जाति) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष की नियमित व निरंतर सेवा की हो।	45 वर्ष की आयु तक
11	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं तथा जो अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो।	35 वर्ष की आयु तक
12	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं तथा जो अपने पति से न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो (अनुसूचित जाति)।	40 वर्ष की आयु तक

5.3 इस निदेशालय द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई वहीं जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो मैट्रिक /माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन किए जाने के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा।

5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नियमित आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.ज्ञा. सं. 36034/1/2014-स्था. (पुन.) में यथा उल्लिखितानुसार वे

उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे सिविल सेवा में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद उन विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि-वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वत: घोषणा करता है / करती है/ वचन देता है / देती है ।

5.5 सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिक की 'कॉल अप सर्विस' की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में मानी जाएगी ।

5.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति मे होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा । ऐसे अभ्यर्थिओं को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.7 स्पष्टीकरण : भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है -

5.7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

5.7.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

5.7.1.2 जिसे सैनिक सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा के कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो ; या

5.7.1.3 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

5.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामत: निरंतर मूर्त सेवा अथा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी भी शामिल है ;

अथवा

5.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग है और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितयों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण अशक्त होकर चिकित्सा आधार पर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य नि:शक्तता पेंशन मिली हुई है ;

अथवा

5.7.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लि प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.7.5 प्रादेशिक प्रांतीय सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.7.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया हो और जिन्हें चिकित्सा नि:शक्तता पेंशन दी गई हो ।

5.8 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे समूह 'ग' पदों में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पात्र समझा जाएगा । इसलिए, जिन गैर स्नातक भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है अथवा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते हैं, वे इस परीक्ष के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं । ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी समूह 'ख' पदों के लिए पात्र नहीं हैं ।

5.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/भूतपूर्व सैनिक को दिया जाने वाला आरक्षण अनुमत्य नहीं है । अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

5.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले यानी 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात, वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। साथ ही, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उनके स्वामी है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

(ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

(iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट ।

अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। संलग्नक-एच में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

(ए) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टायपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

(बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

(सी) तहसीलदार या उससे वरिष्ठ स्तर का राजस्व अधिकारी तथा

(डी) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा। ।

इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि को ईडब्लूएस स्टेटस पर ही आरक्षण का लाभ लेने के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह पात्र होगा/होगी । अभ्यर्थी की जाति/ईडब्लू स्टेटस में किसी भी बदलाव मान्य नहीं होगा ।

6 प्रमाणन की प्रक्रिया तथा प्रमाण पत्रों का प्रारूप :

6.1 वे अभ्यर्थी, जो आरक्षित रिक्तियों या आयु-सीमा में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, दस्तावेज के सत्यापन के समय उन्हें विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लू एस/पीडब्लबीडी/ईएसएम श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी । प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न है । दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वैध होगा । किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है ।

6.2 अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे उसी श्रेणी से आते हैं, जो उन्होंने आवेदन में लिखा है तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग की जाए तो वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें । ऐसा नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा । यदि श्रेणी के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा और इस निदेशालय को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । इस संबंध में डाक, ई-मेल, स्वयं आकर, आदि के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायत पर इस निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी ।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी 'क' ने अपने आवेदन में अपिव भरा है और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान वह वैध अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस निदेशालय द्वारा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा ।

अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/पीडब्लूबीडी/ईएसएम का दावा करने या काई अन्य लाभ जैसे, शुल्क में रियायत, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट आदि, जिसे अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो उसका दावा करने अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

6.3 कोई व्यक्ति जो अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहता है, जो उसे यह सुनश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र हो और वह आवेदन करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में न आता हो ।

6.4 अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन तक अनंतिम रहेगी । अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि यदि वे कपटपूर्ण अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/पीडब्लूबीडी/ईएसएम का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें इस निदेशालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा ।

7 प्रतिपूर्ति समय तथा स्क्राइब (प्रलिपि) की सहायता का प्रावधान :

अंधापन (कम दृष्टि) , लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, के साथ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थि चाहता है, जो स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । चूंकि,

बीए दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पद की पहचान नहीं की गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में अनुलग्नक –ए पर दिए प्रारूप के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति का लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है ।

प्रलिपिक की सुविधा लेने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उसका उल्लेख करना होगा ।
प्रलिपिक की सेवा लेना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

ए) जिस प्रलिपिक की सेवाएं ली जा रही है, उसे स्वयं उस पद/रिक्ति /परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी भाग ले रहा है, का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए । यदि किसी चरण में कोई उल्लंघन पाया जाता है, अभ्यर्थी एवं प्रलिपिक दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ।

बी) दिव्यांग अभ्यर्थी जो छूट के लिए पात्र नहीं है, उन्हें प्रलिपिक की सेवा लेने की अनुमति नहीं होगी ।

सी) यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूंनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय अनुलग्नक – ए पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इसके अलावा प्रलिपिक का परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । अनुलग्नक –बी पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक कि पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा ।

डी) जो अभ्यर्थी प्रलिपिक का विकल्प देते हैं, अनुलग्नक –ख में प्रलिपिक का विवरण उपलब्ध करना होगा जिसे अभ्यर्थी तथा प्रलिपिक दोनों द्वारा परीक्षा के समय हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । प्रलिपिक को परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा अनुलग्नक –ख पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना होगा ।

इ) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लाए गए प्रलिपिक द्वारा किए गए किसी दुराचार के लिए उत्तरदायी होगा ।

8 आवेदन की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षणिक योगता

अर्हता	(a) 60% अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक या (b) 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक या (c) 60% अंकों के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों से यांत्रिक अभियांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स/कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा । नोट : वे अभ्यर्थी जो आवेदन करने अंतिम तिथि को उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त न हों, वे आवेदन न करें । इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा या स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा ।
चयन का तरीका	लेवल 1 परीक्षा : वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेवल 2 परीक्षा : विवरणात्मक परीक्षा पैनलबद्ध करने का तरीका : केवल लेवल 2 में प्राप्त अंक लेवल 1 परीक्षा, लेवल 2 परीक्षा के लिए केवल अर्हक परीक्षा होगी/अभ्यर्थियों की स्क्रनिंग के लिए होगी ।
परिचयात्मक (इंडक्शन)	सफल अभ्यर्थियों के चयन के बाद छः माह का परिचयात्मक (इंडक्शन) प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

9. <u>कैसे आवेदन करें :</u>

9.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे https://dpsdae.formflix.in के माध्यमसे ऑन लाइन आवेदन करें । आवेदन के अन्य कोई भी माध्यम/विधि स्वीकार नहीं की जाएगी । ऑन लाइन आवेदन की सुविधा <u>दिनांक 20.10.2022 को खुलेगी एवं दिनांक 10.11.2022 को बंद होगी</u> ।

9.2 जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित अर्हता योग्यता नहीं रखते है/प्राप्त नहीं किया है, वे आवेदन न करें ।

9.3 उपरोक्त वर्णित पदों के लिए लेवल 1 (पूर्वाह्न) तथा लेवल 2 (अपराह्न) लिखित परीक्षाएं उसी दिन विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी ।

9.4 अभ्यर्थी को रूपए 200/- (दो सौ रूपए मात्र) की आवेदन शुल्क www.dpsdae.formflix.in के माध्यम से ऑन लाइन भेजना होगा । एससी/एसटी, महिला अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक तथा दिव्यांग अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क से छूट है । एक बार अदा किया गया शुल्क अप्रतिदेय, गैर-अंतरणीय होगा तथा किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता है ।

9.5 आवेदन फार्म जमा करने का विकल्प आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद ही उपलब्ध होगा । शुल्क, जहाँ कहीं लागू हो के भुगतान के बिना आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा तथा प्रणाली में पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

9.6 शुल्क के भुगतान के लिए अभ्यर्थियों को निम्न वर्णित स्टेपों का पालन करना चाहिए :

9.6.1 https://dpsdae.formflix.in को देखें ।

9.6.2 'न्यू रजिस्ट्रेशन' विकल्प पर क्लिक करें ।

9.6.3 ब्यौरे को इन्टर करें तथा सबमिट पर क्लिक करें ।

9.6.4 जमा करने पर login id को जनित किया जाएगा ।

9.6.5 यूजर एक्शन पर जाएं तथा "क्लिक हियर फार आलरेडी रजिस्टर" पर क्लिक करें ।

9.6.6 लॉग इन विवरण को भरें ।

9.6.7 लॉगइन के बाद आवेदन विवरण को पूर्ण करें । भरे हुए आवेदन विवरण को मसौदा के रूप में सेव किया जा सकता है ।

9.6.8 'पे एप्लिकेशन फीस' पर क्लिक करें तथा भुगतान करें । क्रेडिट/डेबिट कार्डस/नेट बैंकिंग/ वैलेट/आईएमपीएस इत्यादि जैसे ऑन लाइन भुगतान के विकल्पों सहित एक भुगतान गेटवे पेज खुलेगा ।

9.6.9 सफल भुगतान के बाद आवेदन को सबमिट करें । एक बार सबमिट किए जाने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है । अभ्यर्थी को आवेदन की एक प्रति संभालकर रखना चाहिए ।

9.7 अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन में प्रकाशित सामान्य अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

9.8 अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे एक वैध ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर रखें । इसे इस भर्ती के दौरान सक्रिय रखना चाहिए । लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्रों, कागज़ात सत्यापन इत्यादि के बारे में आवश्यक सूचना पंजीकृत ईमेल आईडियों/मोबाइल नंबरों के माध्यम से ही भेजी जाएगी ।

9.9 अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन भरें तथा डिसकनेक्शन/अंतिम दिन के दौरान वेबसाइट पर हेवी लोड के कारण वेबसाइट में लॉगइन करने में अक्षमता या विफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि तक इंतजार न करें ।

9.10 इस निदेशालय के नियंत्रण से परे किसी भी कारणसे अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने पर अभ्यर्थियों के लिए यह निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

10. परीक्षा के केन्द्र

10.1लेवल 1 एवं लेवल 2 की परीक्षाएं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, इंदौर, बेंगलुरू, हैदराबाद, चंदीगढ़, गुवाहाटी एवं नागपुर जैसे शहरों में आयोजित की जाएगी । अभ्यर्थी अपने आवेदनपत्र में वरीयता के क्रम में (कम से कम तीन शहर) शहर का अपना पसंद इंगित करें । केंद्रों का आबंटन प्रत्येक शहर में पंजीकृत करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को आधार मानकर निश्चित किया जाएगा । अतः अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक केंद्र का चयन करें तथा उसे आवेदनपत्र में सही से इंगित करें । एक बार आबंटित शहर/केंद्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । क्रभनि के पास बिना कोई कारण बताए केंद्र को बढ़ाने अथवा बंद करने का अधिकार सुरक्षित है ।

11. परीक्षा की योजना :

चयन का तरीका	लेवल 1 परीक्षा : वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा लेवल 2 : वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा पैनलबद्ध करने के मानदंड : लेवल 2 परीक्षा में प्राप्त अंक लेवल 2 परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट करने के लिए लेवल 1 परीक्षा केवल अहर्ता परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में होगी ।
परिचयात्मक (इन्डक्शन) प्रशिक्षण	सफल अभ्यर्थियों के चयन के बाद छह माह की परिचयात्मक प्रशिक्षण अनिवार्य है

11.1 <u>लेवल 1 परीक्षा – लिखित परीक्षा (ओएमआर बहुविकल्पीय प्रकार का)</u>

भाग	विषय	अधिकतम अंक/प्रश्न	अवधि	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अवधि
ए	सामान्य अंग्रेजी	200	2 घंटे	2 घंटे 40 मिनट
बी*	(a) सामान्य बुद्धिमता एवं विज्ञान में तर्कशक्ति (12 स्तर तक मूल अवधारणा) अथवा (b) मूल लेखा सिद्धांत (12 स्तर तक)			
सी	परिमाणात्मक अभिरूचि (अंकगणित)			
डी	सामान्य ज्ञान			

ई	कंप्यूटर ज्ञान			

*नोट : अभ्यर्थी को आवेदन के समय B(a) अथवा B(b) का विकल्प देना होगा तथा अभ्यर्थी द्वारा चुने गए भाग का मूल्यांकन किया जाएगा । ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को विकल्प दिए गए भाग के अलावा अन्य भाग का उत्तर देना हो, तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । इसलिए अभ्यर्थियों को विकल्प का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए ।

11.2 लेवल 2 – लिखित परीक्षा (विवरणात्मक प्रकार का)

विषय	अधिकतम अंक	अवधि	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अवधि
अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान (इंग्लिश लैंग्वेज एंड काम्प्रीहेन्शन)	100	3 घंटे	4 घंटे

नोट :

ए) लेवल 1 परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे । भाग बी, सी एवं डी के संबंध में प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी में होंगे । भाग ए के प्रश्न अंग्रेजी में होंगे ।

बी) लेवल 1 परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के) में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक होंगे ।

सी) लेवल 1 परीक्षा में अर्हता मानक सामान्य तथा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक तथा 40% अंक ओबीसी/एससी/एसटी/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए । .

डी) उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने आवेदन किया है तथा अर्हता मानदंड पूरा करते हैं को लेवल 1 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।

ई) ऐसी स्थिति में जब लेवल 1 परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक है, पहले 20 रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपात में तथा शेष रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में लेवल 1 में मेरिट स्कोर के घटते हुए क्रम के अनुसार वर्गवार (केटेगिरीवाइज) शार्ट लिस्टिंग की जाएगी ।

एफ) जिन अभ्यर्थियों को लेवल 1 में शार्ट लिस्ट किया गया है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की वर्णनात्मक उत्तरपुस्तिकाओं (लेवल 2) का मूल्यांकन किया जाएगा ।

जी) परीक्षा के किसी चरण/स्तर के स्कोरों का पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा । इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

एच) पैनलबद्ध करने का मानदंड (लेवल 2 में स्कोर) में टाई के मामले में समाधान

प्रथम) लेवल 1 एवं लेवल 2 अंकों का समग्र (टाई अभ्यर्थियों के बीच में)

द्वितीय) जन्म–तिथि (टाई अभ्यर्थियों के बीच बड़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी)

तृतीय) नाम का वर्णमाला क्रम (प्रथम नाम, मध्य नाम तथा उप नाम के क्रम

11.3 कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के पद हेतु परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.3.1 चिकित्सीय परीक्षा के पूर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों को रूपए 18,000/- प्रतिमाह के समेकित स्टाइपेन्ड पर 6 माह की अवधि के लिए प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें वास्तविक स्टाइपेन्ड पर 25 अतिरिक्त स्टाइपेन्ड आवास के लिए भुगतान किया जाएगा । पुस्तक भत्ता (एक बार अनुदान) रूपए 3000/- भी दिया जाएगा ।

11.3.2 प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्णता पर प्रशिक्षणार्थियों को कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के ग्रेड में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । कैडर एवं तैनाती स्थल पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा ।

11.3.3 कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के रूप में नियुक्ति पर वेतन मैट्रिक्स, स्तर 4 में रूपए 25,000/- 25,000/- प्रति माह का एन्ट्री वेतन तथा नियमानुसार ग्रेड में देय भत्ते दिए जाएंगे ।

11.3.4 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान तथा नियुक्ति के बाद एक वर्ष तक पूर्व सूचना तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अन्य सरकारी विभाग में आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3.5 <u>बाँड अनुबंध</u> : चयिनत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए तथा क्रय एवं भंडार निदेशालय में, यदि प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाती है, नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक सेवा करने के लिए एक बाँड का निष्पादन करना पड़ेगा । एक अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण को पूरा करने में अपनी नियुक्ति के बाद तीन वर्षों तक सरकार की सेवा करने में असफल होते हैं, उन्हें सरकार को स्टाइपेन्ड/अतिरिक्त स्टाइपेन्ड तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्राप्त पुस्तक भत्ता तथा समय-समय पर जीपीएफ के लिए लागू ब्याज के साथ की समेकित रकम के बराबर की राशि की रकम अदा करनी पड़ेगी ।

12. <u>परीक्षा में प्रवेश</u> :

12.1 जिन अभ्यर्थियों ने <u>आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि</u> को उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित अर्जित नहीं की है, वे आवेदन न करें । इस मामले पर आगे कोई पत्राचार अथवा स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

12.2 *आवेदनों के मान्यकरण के बाद, अर्हक अभ्यर्थियों को प्रवेशपत्र जारी किए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है ।*

12.3 कैंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को, यदि कागज़ात सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, उन्हें अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा ।

12.4 अभ्यर्थी को इस निदेशालय से कोई पत्राचार करते समय पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, पंजीकृत ईमेल आईडी तथा नाम, जन्मतिथि तथा परीक्षा का नाम सहित मोबाइल नं. अवश्य लिखना चाहिए।

12.5 निदेशालय की वेबसाइट पर परीक्षा से पहले प्रवेशपत्र को डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में प्रवेशपत्र के प्रिन्ट आउट को लाना होगा ।

12.6 प्रवेशपत्र के अतिरिक्त कम से कम दो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, मूल वैध फोटो आईडी सबूत जिसमें प्रवेशपत्र में वर्णित जन्मतिथि दी हो, जैसे –

12.6.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिन्टआउट,

12.6.2 वोटर आईडी कार्ड,

12.6.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

12.6.4 पैन कार्ड,

12.6.5 पासपोर्ट,

12.6.6 विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल द्वारा जारी पहचानपत्र,

12.6.7 नियोक्ता पहचानपत्र (सरकार/पीएसयू),

12.6.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक,

12.6.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो वाला कोई अन्य पहचानपत्र

12.7 यदि फोटो पहचानपत्र में जन्मतिथि छपी नहीं है, तो अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मूल कागज़ात (जैसे – सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड) मैट्रीकुलेशन प्रमाणपत्र, अंक तालिका, जन्म प्रमाणपत्र, उनके जन्मतिथि के सबूत के रूप में साथ लाना होगा । प्रवेशपत्र तथा जन्म तिथि के समर्थन में लाया गया फोटो पहचानपत्र/प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को मेल न खाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12.8 परीक्षा देते समय प्रवेशपत्र में वर्णित किसी अन्य कागज़ात को भी अभ्यर्थी द्वारा लाया जाएगा ।

13. कागज़ात का सत्यापन :

13.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन आवेदन की प्रति के साथ-साथ मूल रूप में संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिखित परीक्षा के बाद मुंबई में कागज़ात सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा ।

ए) अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने के सबूत अंकतालिकाओं/प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित शैक्षणिक योग्यता; ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन समाप्त किया जाएगा ।

बी) जन्मतिथि (मैट्रीकुलेशन/सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाणपत्र) का वैध सबूत

सी) एससी/एसटी अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए तथा समुदाय को संबंधित राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश में शामिल होना चाहिए । (अनुलग्नक-एफ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)

डी) ओबीसी अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र हाल के वैध तिथि का होना चाहिए तथा क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल होना चाहिए । (अनुलग्नक-जी में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)

ई) शारीरिक विकलांगता (अनुलग्नक- I, J एवं K में दिए गए प्रपत्र के अनुसार – दिव्यांगजनों के लिए लागू) के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र ।

एफ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा समुदाय को संबंधित राज्य से संबंधित राष्ट्रपति के के आदेश में शामिल होना चाहिए (अनुलग्नक-H में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)

जी) रक्षासेवा से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल लागू)

एच) संगत प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट चाहिए ।

आई) जो अभ्यर्थी विवाह अथवा पुनर्विवाह अथवा विवाह विच्छेद पर मैट्रीकुलेशन के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करता है :

ए. औरतों के विवाह के संबंध में : पति के पासपोर्ट, जिसमें विवाहिती का नाम लिखा हो की फोटोकापी, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटोग्राफ के साथ पति तथा पत्नी से शपथपत्र अथवा विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति ।

बी.औरतों के पुनर्विवाह के संबंध में : विवाह विच्छेद विलेख/प्रथम विवाहिती के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी स्थिति हो, वर्तमान पति के पासपोर्ट, जिसमें विवाहिती का नाम लिखा हो, की प्रति, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटोग्राफ के साथ पति तथा पत्नी से शपथपत्र अथवा विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापति प्रति ।

सी.औरतों के विवाह-विच्छेद के संबंध में : विवाह विच्छेद आदेश तथा विलेख पोल/शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए शपथपत्र

डी. दोनों पुरूष एवं महिला के नाम में परिवर्तन हेतु अन्य परिस्थिति : डीड पोल/शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए शपथपत्र तथा मूल रूप में दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र अभ्यर्थी के स्थायी तथा वर्तमान पते अथवा नजदीकी क्षेत्र) तथा शपथपत्र की अधिसूचना ।

14. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई : :

यदि अभ्यर्थियों को किसी चरण में कदाचार में लिप्त पाया जाता है, इस परीक्षा के लिए उनके अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाएंगे तथा यह निदेशालय इस मामले को पुलिस/जाँच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है । यह निदेशालय मामले की जाँच संबंधित प्राधिकारियों/फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा करवाने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है ।

15. न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल मुंबई में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के अधीन होगा ।

16. अयोग्यता : कोई भी व्यक्ति (ए) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह में प्रवेश किया है, या ऐसे व्यक्ति के साथ साथ विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है (बी) जिसने विवाहिती के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते केंद्र सरकार संतुष्ट होने पर ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत शादी करने की अनुमति दे दे सकती है तथा ऐसा करने का अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है ।

17. <u>किसी भी रूप में सिफारिश (कैनवासिंग) करना अयोग्यता होगी – सभी अभ्यर्थियों को सावधानी :</u>

<u>यदि कोई व्यक्ति अवैध परितोषण के माध्यम से इस निदेशालय में चयन/नियुक्ति के आश्वासन के साथ आपसे संपर्क करता है, आपको इस तरह के आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से ऐसे तत्वों की बात नहीं माननी चाहिए या उन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । इस बात पर जोर दिया जाता है और पुनः आश्वासन दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया केवल योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी ।</u>

<u>नोट : शुद्धिपत्र/विस्तार इत्यादि, यदि कोई हो, केवल हमारे वेबसाइट www.dpsdae.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी । कृपया हमारी वेबसाइट को नियमित रूप से देखें ।</u>